[श्री शिवराज वी. पाटिल]

इसके बारे में हमारा कहना यह है कि अगर किसी के समबन्धी, दोस्त बाहर देशों में रहते हैं और वे टी वी सेट भेजना चाहते हैं। उनके लिए यह सहुलियत दी गयी है । अगर किसी के सम्बन्धी नहीं भेजना चाहते हैं तो उनको मजबूर करने की कोई बात नहीं है। यह फेसिलिटी एशियाड के लिए दी गयी है और सारी चीजों को ध्यान में रख कर दी गयी है । इसी लिए इसमें समय की पांबंदी लगाई गयी है कि इस समय के अन्दर टी वी आना जरूरी है । अगर वह नहीं आयेगी तो हम उनको लाने के लिए मजबूर नहीं करने जा रहे हैं । आपके प्रश्न से कुछ ऐसा लगता है कि आप और टाइम चाहते हैं, आप समझते हैं कि हमने टाइम कम दिया है । हम इस समय के अन्दर ही यह सब कर रहे हैं ।

8 तारीख से आज तक कितने सैट्स आये हैं, यह भी आपने पूछा है । इसके आंकड़े अभी मेरे पास नहीं है । अगर आप चाहेंगे तो मैं आप को दे दूंगा । आपने यह भी पूछा है कि टी. वी. किट्स बनाने के लिए कितने आये हैं ? जैसा मुझे बताया गया है कि 50 फीसदी किट्स आये हैं ।

आपने टेक्नोलोजी के सम्बन्ध में भी पूछा है । टेक्नोलोजी के सम्बन्ध में तो टेक्नीशियंस ही कह सकते हैं, मेरे जैसा आदमी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकेगा । टी. वी. बनाने वालों के साथ चर्चा करने के बाद मुझे जो मालूमात हुई है वह ये है कि हमारे यहां टी.वी. बनाने वाले एक साल में ब्लेक एण्ड व्हाईट के चार लाख टी वी सेट बना सकते हैं । तीन महीने के अन्दर एक लाख ब्लेक एण्ड व्हाईट टी.वी. सेट बना सकते हैं, ऐसा माना जाता है । उनसे पूछने पर यह भी पता चला कि तीन महीने के अन्दर वे 60 हजार कलर टी.वी बना सकेंगे अगर उनको लाइसेंस दे दिया जाए । उसका इंतजाम तो पहले से ही हुआ है । मगर एशियाड का जो काम है उसके सम्बन्ध में अनुमान लगाया गया है कि 60 हजार से अधिक टी. वी सेट्स की मांग होगी । यह भी अनुमान है कि यह मांग एक लाख, डेढ़ लाख और दो लाख टी. वी. सेट्स तक पहुंच सकती है । जब टी.वी. की मांग बढ़ेगी तो उसकी वजह से टी.वी. की कीमतें भी बढ़ेंगी और कीमतें बढ़ने से लोगों को नुकसान होगा । इसलिए भी यह किया गया है ।

आपने यह भी पूछा है कि गरीबों के लिए भी कोई इंतजाम होने वाला है या नहीं ? यह दूसरी चीज है । हम देखेंगे कि कुछ कर सकते हैं या नहीं । मगर यह अश्योरेंस नहीं है । अगर कहीं टी.वी. नहीं हो, और वे दिल्ली में भी नहीं आ सकते हों तो वे वहां पर प्राइवेट कलर टी.वी. देख सकते हैं । अगर वहां टी.वी. पहुंच सकता है तो पहुंच जाए ।

टी.वी. के बारे में काफी टीका टिप्पणी होती है । मगर इसको एक एजूकेशन का साधन समझ कर, शिक्षा का साधन समझ कर देखें । फिर इस पर आक्षेप करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं ।

12.00 hrs.

एशियाड को ध्यान में रखते हुए और जो टी.वी. बनाने वाले हैं, उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है । इसमें आप कुछ बड़ी चीज देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा दोष नहीं है । किसका दोष है, आप सोच सकते हैं ।

श्री गीतलाल प्रताब बर्मा : सोचने का नहीं है । राजनीति का डिसीजन था या सेक्रेटरी लेवल का था ।

12.1 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H.K.L. BHAGAT): On behalf of Shri Bhishma Narain Singh, with your permission, Sir, I rise to announce the Government. Business in this House during the week commencing 18th October, 1982 will consist of :—

1. Discussion on the Resolution seeking disapproval of the Central Excise Laws (Amendment and Validation)

Ordinance, 1982, and consideration and passing of the Central Excise Laws (Amendment and Validation) Bill, 1982.

2. Discussion on the Resolution seeking approval for declaration of certain Services of Assam as Essential Services.

3. Discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants for the State of Assam for 1982-83.

4. Discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants (Gernal for 1982-83) .

5. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

6. Consideration and pasing of :—

(a) The Andhra Scientific Company Limited (acquistion and Transfer of Undertakings) Bill, 1982.

(b) The Central Universities (Amendment) Bill, 1982, as passed by Rajya Sabha.;

7. Discussion on the Sixth Five Year Plan.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा): स्वतंत्रता सैनिकों को पेंशन देकर सरकार ने उचित ही किया है और भी कुछ सुविधा मिल चुकी है किन्तु कुछ सुविधा अत्यन्त आवश्यक है। वैसे भी उनकी संख्या बहुत कम हो गई है और रोजाना कम हो रही है । उनके पुत्र-पुत्रियों को केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। रेल में सफर करने को सीमित किलोमीटर प्रतिवर्ष प्रथम श्रेणी का पास मिलना चाहिए । दिल्ली में ठहरने का स्थान बनना चाहिए । जिसमें कोई भी दिल्ली आकर ठहर सके । दिल्ली में इलाज कराने की किसी अस्पताल में अलग व्यवस्था होनी चाहिए । इस पर विचार हो ।

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा सांचलित केन्द्रीय विद्यालयों के लिए यग की शिक्षा का प्रबन्ध किया है। उसमें केवल सरकारी नौकरियों में काम करने वालों को ही योग की शिक्षा का अवसर मिलता है। अन्य जनता विशेषकर ग्रामीण जनता के बच्चों को यह सुविधा प्राप्त नहीं। योग की शिक्षा, स्वास्थय सुधार, चरित्र निर्माण, बीमारियों से मुक्ति के लिए आवश्यक है वहां नशीली वस्तुओं से भी घृणा पैदा कराती है। जो शिक्षा रिषियों और मुनियों को मिलती थी अब जनता को भी उपलब्ध है । केन्द्रीय सरकार को अध्यापकों को शिक्षा देने वाले स्कूलों में योग की शिक्षा देने को अध्यापक रखने चाहिए ताकि वे अध्यापक शिक्षा प्राप्त करके अन्य विद्यार्थियों को भी शिक्षा दे सकें। इसके लिए सरकार को विचार के लिए विधेयक लाना चाहिए ।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : देश में बिजली की कमी से कई प्रदेश प्रभावित हैं। बिजली उत्पादन की अनिश्चितता के कारण कई उद्योगों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। कृषि उपजों की बुआई के समय सिंचाई के लिए आवश्यक बिजली नहीं मिलने से किसान परेशान है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सहित अनेक प्रदेशों में ऊर्जा संकट की स्थिति बनी हुई है। आगामी सालों में यह संकट और अधिक गहरायेगा यदि बिजली उत्पादन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया जावेगा । मध्य-प्रदेश में कोरवा राष्ट्रीय ताप बिजली आयोग "एन. टी. पी. सी." द्वारा कोरवा में निर्मित किए जा रहे ताप बिजली घर के कार्य में तेजी लाकर मध्य-प्रदेश का पर्याप्त बिजली का प्रदाय किया जाना चाहिए । नये परमाणु बिजली घरों की स्थापना में मध्य-प्रदेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

"इंसेपूलाइटिस" ज्वर तथा अन्य ज्वरों की रोकथाम के लिए कारगर उपाए करने की आवश्यकता है। देश के पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में "इन्सेपूलाइटिस" ज्वर के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई है । पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक लोग इस ज्वर के कारण मृत्यु की चपेट में आ गए हैं । मिदनापुर जिले के खड़गपुर की "इण्डियन इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालाजी" का छात्रावास इस ज्वर के प्रकोप से खाली हो गया है । दिल्ली में फैले ज्वर के उपयुक्त उपचार के अभाव में कई लोग परेशान हैं। अतएव सर-

[श्री सत्यनारायण जटिया]

कार देश के कई भागों में ज्वर फैलने से रोकने के लिए तथा उपचार के लिए कारगर उपाय करें।

कृपया उपयुक्त विषय आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किए जावें।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajpur) : Mr deputy-Speaker, Sir, the President of the Chandigarh unit of the Janta Party conducted an enquiry into the allegation that the Government Railway police had arrested hundreds of Bihari passengers, mostly labourers having valid tickets and got them convicted on a charge of ticketless travel.

They are lodged in Bahadurgarh fort prison camp and Amritsar jail to help Punjab Government meet the shortages of staff in prisions overcrowded with Akali Morcha volunteers. They were allegedly made to work as sweepers and cooks.

The enquiry has clearly established that these allegations were correct and there was a collusion between the Railway authorities and the Punjab Government in this entire episode.

The team of opposition M. Ps which visited the concerned jails on 13th October has confirmed these facts.

I demand that the Government should make a comprehensive statement on this episode and take necessary steps to relieve the victims of their agony and offer them adequate compensation for the illtreatment meted out to them.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur : Mr. Deputy-Speaker, Sir, workers of the National Herald have not been paid salary for September, 1982, nor two years bonus. Eleven months overtime allowance has not been disbursed to press workers and provident fund deduction amounting to several lakhs of rupees have not been deposited. There are other matters concerning the workers which need to be looked into. I would request to the Government to look into the matter and make a statement in the House next week.

Since the transport problem in Calcutta is acute, there is need for the introduction of circular train services immediately. Government should make a statement in the House next week in this regard. (*interruptions*) .

MR. DEPUTY-SPEAKER : Only the approved version will go on record.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला): बरेली जिले के आंवला थाने के गांव कटसारी में एक हरिजन परिवार की हत्या कर दी गई और जब उसकी गर्भवती पत्नी आई तो उसको भी मारा गया और उसके गोद के बच्चे को भी चोट पहुंचाई।

इस प्रकार हरिजन उत्पीड़न के बड़े गम्भीर मामले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कठोर कदम उठाना आवश्यक है। इस चर्चा को भी आगामी सप्ताह की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाए।**

MR. DEPUTY-SPEAKER : When you want certain items to be included in the next week's agenda, you are expected to read only the approved text. Only the approved version will go on record.

श्री जयपाल सिंह कश्यप : इस तरह से संशोधन कर दिए जाने के विरोध में मैं बाक आउट करता हूं। यह हरिजनों का मामला है। इस तरह से अर्थ ही बदल नहीं दिया जाना चाहिए था।

12.10 hrs.

Shri Jaipal Singh Kashyap then left the House.

MR DEPUTY SPEAKER: You are expected to read that. Only what has been approved will go on record. Now Mr. B. D. Singh.

श्री बी. डी. सिंह (फूलपुर): मान्यवर, अभी तक भारत एवं जापान का सम्बन्ध आर्थिक विषयों तक ही संकुचित रहा है और वह भी सीमित स्तर तक अभी भी भारत का जापान को निर्यात जापान के आयात का मात्र लगभग 0.73 प्रतिशत है। इधर जापान के प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री ने भारत के साथ राजनैतिक सम्बन्धों को विकसित करने की बात की है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि एशिया की शांति एवं समृद्धि के लिए दोनों देशों में राजनैतिक स्तर पर सहयोग होना चाहिए। भारत अपने आर्थिक आधार तथा आत्मनिर्भरता को

**Not recorded.

सशक्त बनाना चाहता है । हमें विचार करना होगा कि जापान हमारे आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास में किस प्रकार का सहयोग कर सकता है ।

आज जापान में अमरीका को छोड़कर कुल राष्ट्रीय उत्पादन सर्वाधिक है। जापान की उत्पादन प्रक्रिया श्रम उपभोगी है। भारत में प्रौद्योगिक श्रम शक्ति की कमी नहीं है, परन्तु इसे उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि हमने जापानी पद्धति का अनुसरण नहीं किया है । हम अभी तक प्रधानतया अमरीका या रूस की ओर अधिक उन्मुख रहे हैं। हमने जापान, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी जैसे देशों से सहयोग बढ़ाने पर कम ध्यान दिया है। अतएव इन विषयों पर सदन में विचार होना चाहिए।

गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, नैनीताल की अपनी एक गरिमा रही है। इस विश्वविद्यालय ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है। कृषि शिक्षा, अन्वेषण, उत्पादन वृद्धि आदि में विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परन्तु क्षोभ का विषय है कि विगत कुछ वर्षों से वहां का वातावरण अनियमितताओं एवं अशान्ति का शिकार हो गया है। प्रशासन के आचरण से कर्मचारियों, छात्रों एवं प्राध्यापकों में असंतोष की भावना व्याप्त है।

इसी विषाक्त वातावरण एवं पक्षपात आचरण का परिणाम है कि गत 14 सितम्बर को वहां के एक विद्वान वैज्ञानिक ने आत्मदाह कर लिया। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक संघ का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीया प्रधान मंत्री से गत 19 नवम्बर को मिला था और अपने प्रत्यावेदन में न्यायिक जांच की मांग की थी, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतएव, इस सदन में कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर की वर्तमान असामान्य स्थिति पर विचार होना चाहिए तथा वहां के वातावरण को सामान्य बनाने के उपाय निकाले जाने चाहिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयोग एवं आयुक्त अपनी रिपोर्ट हमेशा सदन को प्रस्तुत करते हैं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के साथ हो रहे अन्याय एवं दुर्दशा तथा सरकारी नौकरियों में उचित स्थान नहीं दिए जाने तथा उसके पूर्ति हेतु आवश्यक कदम का भी सुझाव देते हैं लेकिन संसद में उस पर बहस नहीं हो पाती । फलस्वरूप इन समुदायों के सदस्यों में काफी रोष है। सदन में बहस के अभाव में ये रिपोर्ट सिर्फ कागज पर ही रह जाती है।

अतः सरकार से मांग है कि अगले सप्ताह में अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग एवं आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा कराई जाय।

2. पिछले एक सप्ताह के अन्दर बिहार के संथाल परगना एवं गाजियाबाद में आदिवासियों की हत्याओं के समाचार प्राप्त हुए हैं ।

जहां बिहार के संथाल परगना जिला के पाला पोटी, प्रखंड में भूखे सात आदिवासियों को पुलिस ने गोली चला कर मार डाला, वहीं गाजियाबाद में दस आदिवासी (बनजारे) की हत्या रहस्यपूर्ण है।

अतः आदिवासियों की इन हत्याओं के सम्बन्ध में सदन में चर्चा कराई जाए।

MR. DEPUTY SPEAKER : Now Mr. Pranab Mukherjee. Supplementary Demands.

SHRI RAM VILAS PASWAN : The Minister of Parliamentary Affairs should reply.

MR. DEPUTY SPEAKER : Sorry, Mr. Mukherjee. Now Mr. Bhagat.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H.K.L. BHAGAT) : I have heard the hon. Members with respect an attention. I shall very carefully go through the records and bring to the notice of the Business Advisory Committee, such matters which are consider necessary.

श्री राम विलास पासवान: शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट

[श्री राम विलास पासवान]

के सम्बन्ध में तो कुछ कहें, उस पर बातचीत हो गई है, उस पर विचार होना चाहिए।

12.14 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL). 1982-83.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 1982-83.

12.15 hrs.

ANDHRA SCIENTIFIC COMPANY LTD. (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL.*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING) SHRI BHISHMA NARAIN SINGH) : On Behalf of Shri R. Venkataraman I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the acquistion and transfer of the undertakings of the Andhra Scientific Company Limited with a view to securing the proper management of such undertakings so as to subserve the interests of the general public by ensuring the continuity of production of scientific instruments which are vital to the needs of the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

MR DEPUTY SPEAKER : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the acquistion and transfer of the undertakings of the Andhra Scientific Company Limited, with a view to securing the proper management of such undertakings so as to subserve the interests of the general public by ensuring the continuity of production of scientific instruments which are vital to the needs of the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted

SHRI BHISMA NARAIN SINGH : I introduce** the Bill.

CENTRAL EXCISE LAWS (AMENDMENT AND VALIDATION)BILL*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the amendment of laws relating to Central Excise and to validate duties of excise collected under such laws.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the amendment of laws relating to Central excise and to validate duties of excise collected under such laws."

The motion was adopted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I introduce @ the Bill.

12.16 hrs.

STATEMENT *RE*: CENTRAL EXCISE LAWS (AMENDMENT AND VALIDATION) ORDINANCE, 1982

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Central Excise Laws (Amendment and Validation) Ordinance, 1982.

RUBBER (AMENDMENT) BILL— *contd.*

MR. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Shivraj V. Patil on the 13th October, 1982, namely :

> "That the Bill further to amend the Rubber Act, 1947, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

There are two speakers—Mr. N. Dennis and Mr. Banatwalla. They will take five minutes each. Then the Minister will reply. Mr. Mool Chand Daga was on his legs. He is not present in the House. His time will be taken by Mr. Dennis.

---

*Publised in Gazette of India Extraordinary Part II, Section-dated 16-10-82.
**Introduced with the recommendadation of the President.
@Introduced with the recommendation of the President.